पत्र संख्या–वि0(27)पे0को0–51 / 2023– 1281 (90) / वि0,

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

मुकेश कुमार लाल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव
सभी सचिव / विभागाध्यक्ष / प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक–19/12/2023

विषय :– वित्त विभागीय संकल्प सं0–918 दिनांक–25.10.2018 के आलोक में परिवार–पेंशन की स्वीकृति हेतु परित्यक्ता / विधवा आश्रित पुत्रियों की पात्रता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0–1 / 19 / 03–P&PW(E) दिनांक–30.08.2004 एवं 06.09.2007 तथा कार्यालय ज्ञापन सं0–1 / 19 / 03–P&PW(E) दिनांक–11.09.2013 के अनुरूप वित्त विभागीय संकल्प सं0–918 दिनांक–25.10.2018 के द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत / मृत्त कर्मियों के अविवाहित / परित्यक्ता / विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात् परिवार–पेंशन की सुविधा कतिपय शर्त्तों के साथ अनुमान्य की गयी है।

2. वैसी परित्यक्ता / विधवा पुत्रियाँ जो संबंधित पेंशनर एवं उनके जीवन साथी (Spouse) के जीवनकाल में विवाहित जीवन व्यतीत कर रही थी तथा पेंशनर एवं उनके जीवनसाथी की मृत्यु के बाद परित्यक्ता / विधवा हुई हो; को वित्त विभागीय संकल्प सं0–918, दिनांक–25.10.2018 के आलोक में परिवार पेंशन के अनुमान्यता के बिन्दु पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गई है।

3. उपर्युक्त संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0–918 दिनांक–25.10.2018 में अविवाहित / परित्यक्ता / विधवा आश्रित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की सुविधा 25 वर्ष की आयु के पश्चात भी उनके विवाह / पुनर्विवाह अथवा मासिक आधार पर विहित न्यूनतम आय की प्राप्ति आरंभ होने तक अनुमान्य होने का प्रावधान किया गया है । स्पष्ट है कि परित्यक्ता / विधवा पुत्रियों का पेंशनर एवं उनके जीवनसाथी पर आश्रित होना पारिवारिक पेंशन की अर्हता की प्राथमिक शर्त है अर्थात् संबंधित पुत्रियाँ पेंशनर या उनके जीवनसाथी(Spouse) के जीवनकाल में ही परित्यक्ता / विधवा हुई हो । पिता–माता के मृत्यु के पश्चात विधवा / परित्यक्ता पुत्रियाँ पारिवारिक पेंशन की अर्हता नहीं रखती है ।

.....2

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक–1/13/9 P&PW(E) दिनांक 18.09.2014 में भी स्पष्ट किया गया है कि परित्यक्ता/विधवा पुत्रियाँ परिवारिक पेंशन हेतु तभी पात्र होंगी जब वे संबंधित पेंशनर एवं उनके जीवनसाथी के जीवनकाल में ही परित्यक्ता/विधवा हुई हों।

4. अतः स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0–918, दिनांक 25.10.2018 के आलोक में परित्यक्ता/विधवा पुत्रियाँ पारिवारिक पेंशन हेतु तभी पात्र होंगी जब वे संबंधित पेंशनर अथवा उनके जीवनसाथी के जीवनकाल में ही परित्यक्ता/विधवा हुई हों। वैसी परित्यक्ता/विधवा पुत्रियाँ जो संबंधित पेंशनर अथवा उनके जीवन साथी (Spouse) के जीवनकाल में विवाहित जीवन व्यतीत कर रही थी तथा पेंशनर अथवा उनके जीवनसाथी की मृत्यु के बाद परित्यक्ता/विधवा हुई हो ; को वित्त विभागीय संकल्प सं0–918, दिनांक–25.10.2018 के आलोक में पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य नहीं होगा।

विश्वासभाजान

(मुकेश कुमार लाल)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– वि0(27)पें0को0–51/2023 - 1281(5) दिनांक– 19/12/2023

प्रतिलिपि : वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय पटना, को उनके पत्रांक–पेन–01/95, दिनांक–28.07.2023 एवं पत्रांक-Pen-04-649 दिनांक–07.07.2023 के आलोक में सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।